रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240593
CG-DL-E-26112022-240593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 754] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
No. 754] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 845(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (7) और (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये 01,अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 52 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"52क: सरकारी वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र का गैर-नवीनीकरण: नियम 52 में निहित कुछ भी बात के होते हुए, मोटर वाहनों के मामले में, जो निम्नलिखित के स्वामित्व में है;

(i) केंद्र सरकार और उसके विभागों;

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनके विभागों;

(iii) स्थानीय सरकारी संस्थाओं, अर्थात् नगर निगम या नगर पालिकाएं या पंचायतें;

(iv) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित राज्य परिवहन उपक्रम;

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम;

(vi) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबद्ध स्वायत्त निकाय,

के पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारा 41 की उप-धारा (7) के अनुसार इस तरह के प्रमाण पत्र की तारीख से पंद्रह वर्ष बीत जाने के बाद नवीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों का निपटान भी मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के अनुसार स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

[फा. सं. आर टी 23013/1/2021-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून,1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. ....(अ),दिनांक .... के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

G.S.R. 845(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and Commencement - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st Day of April 2023.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 52, the following rule shall be inserted, namely: -

"52A: Non-Renewal of Certificate of registration of Government Vehicles: Notwithstanding anything contained in rule 52, in the case of motor vehicles, owned by;

(i) Central Government and its Departments;

(ii) State/UT Governments and their Departments;

(iii) Local Government Institutions, namely, the Municipal Corporations or Municipalities or Panchayats;

(iv) State Transport Undertakings established under the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(v) Public Sector Undertakings;

(vi) Autonomous bodies with the Central Government and State Governments,

the certificate of registration shall not be renewed after the lapse of fifteen years, as provided in Sub section (7) of Section 41, from the date of such certificate. Disposal of such vehicles shall also be ensured through Registered Vehicle Scrapping Facility set up in accordance with Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules 2021."

[F. No. RT 23013/1/2021-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.11.26 09:55:26 +05'30'